



दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)473/P/FP/Vol.II

प्रधान कार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 17-09-2018

आर बी ई सं/RBE No. 121 / 2018

पी बी सी सं/ PBC No: 183 / 2018

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units,
etc.,

(As per mailing list -'A')

विषय/Sub: Amendment in the Duty Pass entitlement of
Government Railway Police (GRP).

A copy of Railway Board's letter No.E(W)91/PS5-13/2 dated 04-09-2018 on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

(V.SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
for Principal Chief Personnel Officer

मंलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA
The Genl Secy / NFIR

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

No. E(W)91/PS5-13/2

महानिदेशक, जनरल
GENERAL MANAGER'S OFFICE

New Delhi, dated 04.09.2018

The General Managers (P)
All Zonal Railways &
Production Units.

17 SEP 2018

महानिदेशक, सेंट्रल रेलवे
चेन्नई/Chennai-13/2

Sub: Amendment in the Duty Pass entitlement of Government Railway Police (GRP).

The extant Duty Pass entitlement of GRP stipulated in Item No.37 of Schedule-VII (Special Passes) of Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition-1993) has been reviewed and the Competent Authority has accorded his approval for its amendment as follows:-

Category	Entitlement
Government Railway Police (GRP).	<p>(i) Entitled to First/Second Class Duty Card/Cheque Passes over specified jurisdictions i.e. entire jurisdiction of the officer/officials of GRP, even if the same extends to the contiguous Railway(s).</p> <p>(ii) First Class 'A' Duty Pass entitlement to GRP Officers for self-travel only, over jurisdictions as specified above, will be regulated as under provided that such officers are also entitled to travel in 1-AC Class as per Travelling Allowance Rules/Orders/Instructions of respective State Governments:-</p> <p>(a) IGs/DIGs/AIGs who are exclusive in-charge of GRP are entitled to First Class 'A' "Duty Card Passes" valid for travel in 1-AC Class of Mail/Express trains.</p> <p>(b) IGs/DIGs/AIGs supervising GRP in addition to certain other duties (i.e. not exclusive in-charge) are entitled to First Class 'A' "Duty Cheque Passes" valid for travel in 1-AC Class of Mail/Express trains for performing railway duty.</p> <p>(c) One Officer of the rank equivalent to IG and above from each State, heading and exclusive in-charge of GRP is entitled to First Class 'A' "Duty Card Pass" for self-travel in 1-AC Class of Mail/Express/Rajdhani trains and EC Class of Shatabdi Express trains.</p> <p>Note:- Other conditions relating to issue of such passes shall continue to be governed by administrative orders issued from time to time.</p>

2. The Railways may obtain self declaration from the officer concerned that he/she satisfies the conditions applicable to him/her, as stipulated under Rule(ii) above, before issue of First Class 'A' Duty Passes.
3. The Railways may take necessary action accordingly.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.



(V. Muralidharan)
Dy. Director Estt.(Welfare)-I
Railway Board

No.E(W)91/PS5-13/2

New Delhi, dated 04.09.2018

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

सं.ई(डब्ल्यू)91/पीएस 5-13/2

नई दिल्ली, दिनांक 04.09.2018

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं

उत्पादन इकाइयां

विषय: राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) की ड्यूटी पास हकदारी में संशोधन.

रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण- 1993) की अनुसूची VII(विशेष पास) की मद सं. 37 में विनिर्दिष्ट रा.रे.पु की मौजूदा ड्यूटी पास हकदारी की समीक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकारी ने निम्नानुसार इसमें संशोधन करने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है:-

वर्ग	हकदारी
राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु)	<p>(i) विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार अर्थात् रा.रे.पु. के अधिकारी/प्राधिकारी के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में प्रथम/द्वितीय श्रेणी ड्यूटी कार्ड/चैक पास की हकदारी है, इसे निकटवर्ती रेलों पर भी दिया जा सकता है.</p> <p>(ii) उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्राधिकार में रा.रे.पु के अधिकारी केवल स्वयं यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी 'क' ड्यूटी पास के लिए हकदार हैं, वशर्ते कि ऐसे अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों के यात्रा भत्ता नियमों/आदेशों/अनुदेशों के अनुसार प्रथम-वातानुकूलित श्रेणी में भी यात्रा करने के लिए हकदार हों जो निम्नानुसार विनियमित होंगे:-</p> <p>(क) महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक/अपर महानिरीक्षक जो राजकीय रेलवे पुलिस के विशेष प्रभारी हों, प्रथम श्रेणी 'क' " ड्यूटी कार्ड पास" के लिए हकदार हैं, जो मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के लिए वैध हैं.</p>

(ख) कोई कतिपय अन्य ड्यूटियों (अर्थात् विशेष प्रभारी न हों) के अलावा राजकीय रेलवे पुलिस का पर्यवेक्षण करने वाले महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक/अपर महानिरीक्षक रेलवे ड्यूटी करने के लिए प्रथम श्रेणी 'क' "ड्यूटी चैक पास" के लिए हकदार हैं जो मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के प्रथम-वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के लिए वैध हैं।

(ग) प्रत्येक राज्य के महानिरीक्षक के समकक्ष रैंक और उससे ऊपर का एक अधिकारी, राजकीय रेलवे पुलिस का प्रमुख और विशेष प्रभारी स्वयं के लिए प्रथम श्रेणी 'क' "ड्यूटी कार्ड पास" के लिए हकदार हैं, जो मेल/एक्सप्रेस/राजधानी गाड़ियों के प्रथम-वातानुकूलित श्रेणी में और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की एग्जिक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए वैध हैं।

टिप्पणी:- ऐसे पासों के जारी करने से संबंधित अन्य शर्तें समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों द्वारा शासित होंगी।

2. रेलवे को प्रथम श्रेणी 'क' ड्यूटी पास जारी करने से पूर्व संबंधित अधिकारी से इस आशय का घोषणा पत्र लेना होगा कि वह उपरोक्त नियम (iii) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।
3. रेलवे, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन
(वी. मुरलीधरन)

उप निदेशक, स्था.(कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड